उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-1

संख्या-348/2015/2086/38-1-2015&3508/2013

लखनऊ: दिनांक: 11 सितम्बर, 2015

**<u>कार्यालय-आदेश</u>**

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा,2013 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयनित कतिपय अभ्यर्थियों सहित श्री अमित सिंह परिहार की नियुक्ति/विज्ञप्ति संख्या-295/2015/1762/38-1-2015&3508/2013, दिनांक: 03 अगस्त, 2015 द्वारा उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0 5400 में मौलिक रूप से नियुक्त करते हुए दिनांक 10.08.2015 से 23.09.2015 तक दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ में आयोजित आधारभूत प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु संस्थान में योगदान आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

2- शासन के उक्त आदेश के अनुक्रम में श्री अमित सिंह परिहार द्वारा वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0 में वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यरत होने के दृष्टिगत विभाग से कार्यमुक्त हेतु आवेदन किया गया। वाणिज्य कर विभाग द्वारा दिनांक 28.08.2015 के अपरान्ह में कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त दिनांक 29.08.2015 को राजपत्रित अवकाश तथा दिनांक 30.08.2015 को रविवार होने के दृष्टिगत श्री परिहार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ में योगदान दिये जाने हेतु दिनांक 31.08.2015 को उपस्थित हुए किन्तु उक्त प्रशिक्षण संस्थान में श्री परिहार की योगदान आख्या स्वीकार नहीं की गयी, जिसके फलस्वरूप श्री परिहार दिनांक 31.08.2015 को शासन में योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत दिनांक 31.08.2015 से श्री अमित सिंह परिहार को खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान आख्या स्वीकार की जाती है तथा श्री परिहार को यह निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 28.09.2015 से

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11.11.2015 तक दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ में आयोजित आधारभूत प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु संस्थान में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

राम बहादुर
सचिव।

संख्या-348 /2015/ 2086(1)/38-1-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0 लखनऊ ।
(3) महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बक्शी का तालाब, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त नवनियुक्त खण्ड विकास अधिकारी को दिनांक 28.09.2015 से 11.11.2015 तक आयोजित आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था कराने का कष्ट करें।
(4) सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रशिक्षण हेतु संस्थान पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।
(5) श्री अमित सिंह परिहार, फ्लैट नं0-42, निरूपमा कॉलोनी, स्टैनली रोड, इलाहाबाद।
(6) वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ/जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।